न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 01/2017 – निगरानी

बालु पुत्र छोगा निवासी –
गणेशपुरा, ग्राम पंचायत बरसनी,
तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र हालु, निवासी रायरा, ग्राम पंचायत जगपुरा, तहसील बदनोर
2. अम्बालाल पुत्र हालु निवासी रायरा, ग्राम पंचायत जगपुरा, तहसील बदनोर
3. पारस पुत्र हालु निवासी रायरा, ग्राम पंचायत जगपुरा, तहसील बदनोर
4. ग्राम पंचायत जगपुरा जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जगपुरा, पंचायत समिति आसीन्द तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.08.1975 पत्रावली संख्या 40 से कुल क्षेत्रफल 4160 वर्गफीट का पट्टा ग्राम पंचायत जगपुरा, पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाडा।

उपस्थित –

1. श्री संजय सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रामेश्वर लाल जाट अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 से 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत जगपुरा द्वारा जारी पट्टा मिसल पत्रावली संख्या 40 दिनांक 05.08.1975 पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियमों के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। निगराकार की पुश्तैनी एवं मौरूसी खातेदारी आराजी वाके ग्राम रायरा पटवार हल्का जगपुरा की आराजी नम्बर 932 रकबा 0.89 हैक्टयर किस्म नहरी द्वितीय तथा बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नम्बर 991 रकबा 0.48 हैक्टयर किस्म गैमु0 सड़क व आराजी नम्बर 933 रकबा 0.48 हैक्ट्यर किस्म गैमु0 सड़क होकर निगराकार उपयोग उपभोग करता आ रहा है। निगराकार की खातेदारी वाके ग्राम रायरा पटवार हल्का जगपुरा की आराजी नम्बर 932 रकबा 0.89 हैक्टयर किस्म नहरी द्वितीय तथा बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नम्बर 991 रकबा 0. 48 हैक्टयर किस्म गैमु0 सड़क व आराजी नम्बर 933 रकबा 0.48 हैक्ट्यर किस्म गैमु0 सड़क की भूमि में गैर निगराकार संख्या 01 से 03 तक के पिता हालु पुत्र श्री हजारी गुर्जर

के नाम पर पत्रावली संख्या 40 दिनांक 05.08.1975 से एक बापी पट्टा क्षेत्राधिकार के बाहर होने बावजूद निगराकार की खातेदारी व गैमु0 सड़क में फर्जी पट्टा तैयार किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 से 03 ने फर्जी पट्टे के आधार पर एक सिविल प्रकरण संख्या 50/2016 सिविल न्यायालय आसीन्द में निगराकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का पेश किया, तब निगराकार को जानकारी में आया कि निगराकार की पैतृक खातेदारी आराजी तथा गैमु0 सड़क में फर्जी पट्टा तैयार किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 04 से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा मिसल पत्रावली संख्या 40 दिनांक 05.08.1975 की प्रमाणित नकल के साथ जारी पट्टा की भी प्रमाणित नकल मांगी गई तथा पट्टा शुल्क 25/– रूपये रो0पा0 40 दिनांक 05.10.1975 से जमा के रोकड बुक की प्रमाणित नकल चाही गई, तब गैर निगराकार संख्या 04 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन का जवाब क्रमांक/ग्राप/जग/2016 दिनांक 26.10.2016 से लिखित में दिया जिसमें दर्शाया कि '' ग्राम पंचायत जगपुरा के अभिलेख में हालु पिता हजारी गुर्जर निवासी रायरा के नाम से रियायती दर/राजस्थान पं0रा0 नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा मय मिसल अभिलेख में नही है एवं नही पाया गया और उनके नाम का आवेदन प्रति व पट्टा प्रति मौका रिपोर्ट ग्रा0 पं0 अभिलेख में उपलब्ध नहीं होने से प्रति दिया जाना सम्भव नहीं है।'' दिनांक 02.12.2016 के पत्रांक से लिखा कि '' रोकड बही वर्ष 1974–75 एवं 1975–76 के पेज संख्या 34 पर रसीद के क्रमांक में हालु पिता हजारी गुर्जर निवासी रायरा के नाम की रसीद से शुल्क जमा नहीं होकर अन्य के नाम दर्ज रिकार्ड है।'' निगरानी युक्त पट्टा की फोटो प्रति ही निगराकार के पास हैं, बल्की मुल पट्टा भी गैर निगराकार संख्या 01 से 03 तक के कब्जे में होने से न्यायालय द्वारा तलब किया जाना न्योचित है। ग्राम पंचायत जगपुरा में निगरानी उक्त पट्टा एवं मिसल पत्रावली अभिलेख में उपलब्ध नही होने तथा निगराकार की पैतृक खातेदारी व सडक में अवैध एवं गैरकानूनी तरीके से गलत जारी किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 04 के पट्टे से संबंधित समस्त दस्तावेज कब्जे में होने से तलब कर पट्टे को निरस्त किया जावे। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर गैर निगराकार संख्या 01 से 03 के पिता के पक्ष में जारी आदेश से पट्टा मय मिसल पत्रावली संख्या 40 के जरिये दिनांक 05.8.2016 को निरस्त कराया जावें।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 19.01.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार सं. 01 से 03 की ओर से जवाब पेश हुआ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया गया कि निगराकार की खातेदारी वाके ग्राम रायरा पटवार हल्का जगपुरा की आराजी नम्बर 932 रकबा 0.89 हैक्टयर किस्म नहरी द्वितीय तथा बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नम्बर 991 रकबा 0.48 हैक्टयर किस्म गैमु0 सड़क व आराजी नम्बर 933 रकबा 0.48 हैक्ट्यर किस्म गैमु0

सड़क की भूमि में गैर निगराकार संख्या 01 से 03 तक के पिता हालु पुत्र श्री हजारी गुर्जर के नाम पर पत्रावली संख्या 40 दिनांक 05.08.1975 से एक बापी पट्टा क्षेत्राधिकार के बाहर होने बावजूद निगराकार की खातेदारी व गैमु0 सड़क में फर्जी पट्टा तैयार किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 04 से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा मिसल पत्रावली संख्या 40 दिनांक 05.08.1975 की प्रमाणित नकल के साथ जारी पट्टा की भी प्रमाणित नकल मांगी गई तथा पट्टा शुल्क 25/– रूपये रो0पा0 40 दिनांक 05.10.1975 से जमा के रोकड बुक की प्रमाणित नकल चाही गई, तब गैर निगराकार संख्या 04 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन का जवाब क्रमांक/ग्राप/जग/2016 दिनांक 26.10.2016 से लिखित में दिया जिसमें दर्शाया कि '' ग्राम पंचायत जगपुरा के अभिलेख में हालु पिता हजारी गुर्जर निवासी रायरा के नाम से रियायती दर/राजस्थान पं0रा0 नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा मय मिसल अभिलेख में नही है एवं नही पाया गया और उनके नाम का आवेदन प्रति व पट्टा प्रति मौका रिपोर्ट ग्रा0 पं0 अभिलेख में उपलब्ध नहीं होने से प्रति दिया जाना सम्भव नहीं है।'' दिनांक 02.12.2016 के पत्रांक से लिखा कि '' रोकड बही वर्ष 1974–75 एवं 1975–76 के पेज संख्या 34 पर रसीद के क्रमांक में हालु पिता हजारी गुर्जर निवासी रायरा के नाम की रसीद से शुल्क जमा नहीं होकर अन्य के नाम दर्ज रिकार्ड है।'' निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर गैर निगराकार संख्या 01 से 03 के पिता के पक्ष में जारी आदेश से पट्टा मय मिसल पत्रावली संख्या 40 के जरिये दिनांक 05.8.2016 को निरस्त कराया जावें।

गैर निगराकार सं. 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 01 से 03 के पिता हालु को राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत ही पटटा जारी किया गया है। गैर निगराकार को आराजी संख्या 932, 991, 933 में पटटा जारी नहीं किया गया है, बल्कि आबादी भूमि में पटटा जारी किया गया है। जिस पर गैर निगराकार मकान बनाकर करीब 50 वर्षों से निवास करते चले आ रहे है। पंचायत में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से गैर निगराकार के पिता हालु गुर्जर का पटटा अवैध नही हो जाता हैं। गैर निगराकार ने सिविल जज आसीन्द के समक्ष निगराकार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जो विचाराधीन है। अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। गैर निगराकार को पटटा जारी किये हुये 41 वर्ष हो चुके हैं तथा गैर निगराकार 50 वर्षों से मकान बनाकर पटटे की भूमि पर निवासी करते चले आ रहे है। पटटे की जानकारी निगराकार को शुरू से ही थी। प्रार्थना पत्र बेरून मियाद है। धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के तीसरे खण्ड के भाग 03 अनुच्छेद 137 के अनुसार जिस आवेदन के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं वहां मियाद 03 वर्ष हैं। इस प्रकार पटटा जारी करने के 03 वर्ष के भीतर ही निगरानी आवेदन पत्र पोषणीय था। पटटा हालु पिता हजारी गुर्जर निवासी रायरा के नाम जारी किया गया। हालु के पत्नी धन्नी पुत्र कन्हैयालाल, पारस, अम्बालाल व पुत्री श्रवणी हैं। इस मकान में 1/5 हिस्सा धन्नी का एवं 1/5 हिस्सा श्रवणी का हैं जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया। निवेदन हैं कि

निगराकार की निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें निगराकार ने अंकित किया कि ग्राम पंचायत जगपुरा की आराजी संख्या 40 में हालु पिता हजारी गुर्जर निवासी रायरा के नाम पर दिनांक 05.08.1975 को क्षैत्रफल 4160 वर्गफीट भूमि का बापी पटटा सरपंच ग्राम पंचायत जगपुरा द्वारा जारी किया गया। ग्राम पंचायत जगपुरा ने 25/—रूपये जमा कर पटटा जारी किया हैं। भूखण्ड का बापी पटटा बिलानाम आराजी नं. 991 गे.मु. सड़क में होना ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.07.2018 में अंकित किया है। ग्राम पंचायत जगपुरा की पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना उक्त रिपोर्ट में अंकित किया हैं। निगराकार ने निगरानी के साथ बापी पटटा दिनांक 05.08.1975 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। निगराकार ने सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आसीन्द के प्रकरण संख्या 51/2016 ई.द. (50/16) में भी असली बापी पटटा गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत नही किया, जिसके संबंध में निगराकार ने उक्त न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं। जिसमें असल बापी पटटा न होकर मात्र फोटाप्रति संलग्न की गयी है। जिससे निगराकार का प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2019 को खारिज किया गया। निगराकार ने निगरानी बापी पटटे की फोटोप्रति के आधार पर प्रस्तुत की हैं, जबकि बापी पटटे की सरपंच ग्राम पंचायत जगपुरा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जगपुरा ने भी उक्त बापी पटटा संबंधी पत्रावली पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने संबंधी रिपोर्ट दिनांक 26.07.2018 को प्रेषित की है। अतः निगराकार की निगरानी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव —

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत जगपुरा की पत्रावली सं. 40 में जारी बापी पटटा दिनांक 05.08.1975 के संबंध में प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत जगपुरा को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.24 11:00:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: